

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 48/2024

उनवान

1. नौसर पुत्री माना,
2. प्रेम पत्नी लादू,
3. शकर पुत्र राजू,
4. निरमा पत्नी शंकर जाति रावत नि० अन्सरी, नसीरीबाद
— वादीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कैलाश पुत्र भागू,
2. छोटू पुत्र हीरा,
3. नारायण पुत्र भागू,
4. मंजू पुत्री लादू,
5. मेवा,
6. रामा,
7. लाला,
8. शंकर पि० भागू,
9. सोनू उर्फ संगीता पुत्री लादू जाति रावत नि० ग्राम असंरी नसीराबाद,
10. राज० सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
— प्रतिवादीगण :- 1 से 9 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
10 जरियें राज० पैरोकार



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज० काश्त० अधि० 1955


—: निर्णय :-

दिनांक :- 13.5.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम असंरी में स्थित खाता संख्या 28/40 किता 31 रकबा 6.84 की आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नहीं हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे हैं। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने जरियें अधिवक्ता राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा

—2


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे।


अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादीगण द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नहीं चाही गयी है। राज० पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने के कारण जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गयी।


अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया। बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में राजीनामा पेश किया है। राज० पैरोकार ने जवाब नहीं पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से पक्षकार के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजीनामा में वादीगण व प्रतिवादीगण को अलग-अलग खसरा नम्बर दिये गये हैं किन्तु राजीनामा में आराजी मुतनाजा का मानचित्र पेश नहीं किया है जिसे खसरा नम्बर का कौन सा हिस्सा किस खातेदार का दिया जाना है स्पष्ट नहीं होता है। अतः प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित है।

अतः ग्राम असरी में स्थित खाता संख्या 28/40 किता 31 रकबा 6.84 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में समस्त सहखातेदारों के मध्य आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इबाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नौसर बनाम कैलाश


दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 48/2024

पेश करने की दिनांक - 12.03.24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक रणजीत रवत व राज० पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम असरी में स्थित खाता संख्या 28/40 कित्ता 31 रकबा 6.84 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में समस्त सहखातेदारों के मध्य आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुत्तरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुत्तरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद